न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सांचौर

पीठासीन अधिकारी : दौलतराम चौधरी (R.A.S)

अपील संख्या 41/2025

मृतक अजा पुत्र अखा के कायम मुकाम वारिसान

1. नैथीराम पुत्र अजा
2. लीलूदेवी धर्मपत्नी स्व.अजा जातियान कलबी निवासीगण वणधर तहसील रानीवाडा

.....अपीलाण्ट

बनाम

मृतक लीलू पत्नी रूपा के कायम मुकाम

1. पातीया पुत्र रूपा
2. अणदा पुत्र रूपा
3. वीरा पुत्र रूपा
4. रणछोडा पुत्र रूपा
5. माधा पुत्र रूपा जातियान कलबी निवासीगण वणधर तहसील रानीवाडा
6. मृतक आला पुत्र अखा के कायम मुकाम
   1. जमना पुत्री आला पत्नी पदमाराम जाति कलबी निवासी चारा तहसील रानीवाडा
7. तहसीलदार रानीवाडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर।

.....रेस्पोडेण्ट

उपस्थित अधिवक्ता अपीलांट :– श्री रमेश कुमार हेमागुडा
रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता :– श्री सगताराम चौधरी

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधि.1955

न्यायालय अति. जिला कलक्टर सांचौर

निर्णय दिनांक 01.07.2025

प्रकरण के संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट व रेस्पोंडेट संख्या 1 से 6 की संयुक्त खातेदारी के खेत वाके सरहद मौजा वणधर तहसील रानीवाडा में खेत खसरा नंबर–417 रकबा 1.17 हैक्टर, खसरा नंबर–515 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर–516 रकबा 3.92 हैक्टर, खसरा नंबर–1119 रकबा 1.40 हैक्टर, खसरा नंबर–1151 रकबा 2.80 हैक्टर, खसरा नंबर–1458 रकबा 0.92 हैक्टर, खसरा नंबर – 1851 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नंबर–1852 रकबा 0.73 हैक्टर, खसरा नंबर–1853 रकबा 1.73 हैक्टर, खसरा नंबर–1920 रकबा 0.77 हैक्टर, खसरा नंबर–1920/2085 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर–1926 रकबा 0.46 हैक्टर, खसरा नंबर–1928 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नंबर–1933 रकबा 1.30 हैक्टर, जुमले रकबा 15.33 हैक्टर, के आये हुये है, तथा उक्त आराजी में मुझ अपीलांट का 1/3 हिस्सा आया हुआ है, तथा 1/3 हिस्से की भूमि पर लगातार काश्त कब्जा चला आ रहा

है। मुझ अपीलांट के पिताजी एक अनपढ काश्तकार व्यक्ति थे तथा उन्हे लिखना व पढ़ना नहीं जानते थे। आज से करीब 19 वर्ष पूर्व रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 6 ने तत्कालीन पटवारी से मिलीभगत कर मेरे पिताजी के अंगूष्ठ निशान करवाकर गलत मुगालता देकर अंगूष्ठ निशान करवाकर तहसीलदारं रानीवाडा द्वारा उक्त बंटवाड़ा दिनांक–01.06.2005 को स्वीकृत किया गया था जो गलत हिस्से अनुसार किया गया था जो निम्न आधारों पर काबिल फरमावें।

(अ) यह है कि मातेहत अदालत ने अपीलांट व रेस्पोडेंट के मध्य समान 1/3 हिस्सा करना था मगर लीलू बेवा रूपा, पातीया, अणदा, वीरा, रणछोड़ा, माधा, पिता रूपा खसरा नंबर–515,516,1119 रकबा क्रमशः0.01, 3.92, 1.40 हैक्टर कुल 5.33 हैक्टर दिया। अजा पुत्र अखा खसरा नंबर–417, रकबा 1.17 हैक्टर, खसरा नंबर–1853 रकबा 1.73 हैक्टर, खसरा नंबर–1852 रकबा 0.73 हैक्टर, खसरा नंबर– 1851 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नंबर–1926 रकबा 0.46 हैक्टर, खसरा नंबर–1928 रकबा 0.07 हैक्टर कुल रकबा 4.20 हैक्टर दिया। आला पुत्र अखा खसरा नंबर–1458 रकबा 0.92 हैक्टर, खसरा नंबर–1920 रकबा 0.77 हैक्टर, खसरा नंबर–1920/2085 रकबा 0.01 हेक्टर, खसरा नंबर–1151 रकबा 2.80 हैक्टर कुल रकबा 4.50 हैक्टर दिया। लीलू बैवा रूपा, पातीया, अणदा, वीरा, रणछोडा, माधा, पिता रूपा 1/3 अजा, आला पिता अखा 2/3 हिस्सा दिया गया। मातेहल अदालत ने अपीलांट के हिस्से से रकबा 0.91 हैक्टर भूमि अपीलांट के बंट में कम देकर कानूनी एंव वाक्याती भारी भूल की है।
(ब) यह है कि मातहत अदालत ने पक्षकार अपीलांट के स्व. पिता को सुने बिना, तथा उन्हे जानकारी दिये बिना, अपीलांट के बंट की रकबा 0.91 हैक्टर भूमि उसके बंट में कम देकर कानूनी एंक् वाक्याती भारी भूल की है।
(स) यह है कि मातेहत अदालत द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 6 के बंट में उनके हक व हिस्से से अधिक भूमि देकर उक्त बंटवाड़ा कानून से परे जाकर स्वीकृत करने में कानूनी एंव वाक्याती भारी भूल की है।
(द) यह है कि मातेहत अदालत ने वादग्रस्थ आराजी का मौका एंव निरीक्षण किये बिना व मौके की जांच किये बिना उक्त बंटवाड़ा स्वीकृत कर कानूनी एंव वाक्यारी भारी भूल की है।
(य) यह है कि मातेहत अदालत द्वारा वक्त बंटवाडा अपीलांट के पिता का उक्त आराजी में रकबा 5.11 हैक्टर भूमि पर काश्त कब्जा होते हुए उक्त बटवाड़ा स्वीकृत करने में कानूनी एंव वाक्याती भारी भूल की है।
(र) यह है कि मुझ अपीलांट के पिता अनपढ़ काश्तकार व्यक्ति होने से तत्कालीन हल्का पटवारी वणधर द्वारा उक्त बंटवाडा रेस्पोंडेंट संख्या 1 ता 6 से मिलकर अपीलांट के बंट में भूमि कम की जाकर लिखवाया गया जो उक्त बंटवाड़ा निरस्त फरमावें।
2 यह है कि उक्त बंटवाड़ा में अपीलांट के पक्ष में भूमि कम दर्ज करने का पूर्व में अपीलांट को कोई जानकारी नहीं थी किन्तु अभी 15 रोज पूर्व उक्त तथाकथित बंटवाड़े के जरिये रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 6 ने अपीलांट के बंट व कब्जे काश्त की भूमि में कब्जा करने की धमकीं देने पर अपीलांट द्वारा उक्त बंटवाड़े की व नामान्तरण की नकले आद्वि प्राप्त करने पर पुख्ता जानकारी होने पर अपील जानकारी से अन्दर म्याद पेश की गई।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर
सांचौर

अतः अपीला अपीलांट मय शपथ–पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि सहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा स्वीकृत बंटवाडा दिनांक–01.06.2005 अवैध होने से उक्त बंटवाडे को निरस्त कर पुनः अपीलांट के खाते में पूर्व हिस्सानुसार हिस्सा दर्ज करने कां आदेश फरमावे।

अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिए नोटिस सूचित किया गया। रेस्पोडेण्ट की ओर से अधिवक्ता उपस्थित।

रेस्पोडेन्ट वकील द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील का अवतरण संख्या 1 में वर्णित तथ्यो का जबाव इस कदर है कि अवतरण में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि सरहद मौजा वणधर में आई हुई है जिसका बंटवाड़ा अपीलान्ट के पिता/पति अजा पुत्र अखा एवं रेस्पोडेन्ट के पिता/पति रूपा पुत्र अखा एवं आला पुत्र अखा सभी ने आपसी सहमति से बंटवाडा कर मौके पर अलग–अलग माठे कायम कर दी थी। बंटवाडा सन् 2005 में किया गया था उस वक्त हम रेस्पोडेन्ट के बंट में हल्की व कम उपजाऊ जमीन रखी तथा अपीलान्ट के पिता/पति अजा के बंट उपजाऊ जमीन रखी इस कारण अपीलान्ट के पिता/पति ने अपनी इच्छानुसार उपजाऊ से उपजाऊ जमीन लेकर बंटवाड़ा करवाया तथा बंटवाडा के बाद हम रेस्पोडेन्ट ने हमारे बंट की भूमि को दिन रात मेहनत कर उन्नत – खाद बिज डालकर उपजाऊ बनाया तथा हमारे बंट के हिस्से में पक्के मकान, बेरा आदि बनावाये तथा अन्दर विधुत कनेक्शन लिया, इस कारण अपीलान्ट के मन में खोट आ गया। इस कारण हमारे बंट की जमीन हड़पने की नियत से करीब साढे 19 वर्ष बाद यह अपील प्रस्तुत की है। जो काबिल फरमावें।

अ– यह है कि अवतरण में वर्णितानुसार बंटवाड़ा अपीलान्ट के पिता/पति की सहमति से किया गया था तथा अपीलान्ट ने अपने बंट में उपजाऊ जमीन रखी, बंटवाड़े के बाद अपीलान्ट के पिता/पति अजा पुत्र अखा ने श्रीमति पंखूदेवी पत्नि मसराराम दर्जी को दिनांक 27.06.2005 को जरिये बैचान दस्तावेज के अपने बंट के खेतो मे से खसरा नम्बर 417 का बैचान किया तथा बाद में पंखूदेवी ने भवरसिंह, अर्जुनसिंह पिसरान सरदारसिंह को उक्त भूमि का सन् 2008 में बैचान कर कब्जा सुपुर्द किया, जिस पर कब्जा खरीददारान का है। जिसकी अपीलान्ट को पुर्ण जानकारी होते हुये भी अन्दर म्याद कोई कार्यवाही नही की है। अतः अपील काबिल फरमावें।

ब– यह है कि अवतरण संख्या 1 ब का जबाव इस कदर है कि मातहत अदालत के समक्ष अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट ने अपनी सहमति से बंटवाड़ा पेश किया जिस पर मातहत अदालत ने अपीलान्ट का बंटवाड़ा स्वीकार किया है जो आपसी सहमति से किया है, बंटवाड़े के बाद अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट ने अपने अपने हिस्से मे से जमीन का बैचान किया है जो पक्षकारान के निजीज्ञान में है, इसके उपरान्त भी समय पर अपील प्रस्तुत नही की, इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट की नियत में खोट है। अतः अपील खारिज फरमावें।

स,द,य,र यह है कि अपील के अवतरण संख्या स.द,य,र गलत होने से अस्वीकार है। जबाव इस कदर है कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सभी ने मिलकर आपसी सहमति से बंटवाड़ा प्रस्ताव सक्षम न्यायालय तहसीलदार कार्यालय रानीवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर सभी पक्षकारान की सहमति एवं हल्का पटवारी की मौके की जांच व पहचान के बाद ही पक्षकारो को सुनकर बंटवाड़ा स्वीकृत किया गया है। इससे यदि अपीलान्ट या उनके पिता/पति असंतुष्ट होते तो समयावधि के भीतर अपील प्रस्तुत कर सकते थे। लेकिन अपीलान्ट ने समयावधि के भीतर अपील प्रस्तुत न कर अब अपील प्रस्तुत की है जो अपील म्याद बाहर होने से काबिल फरमावें।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर
सांचौर

यह है कि अवतरण संख्या 2 गलत होने से अस्वीकार है। जबाव इस कदर है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट ने आपसी सहमति से सन् 2005 में बटवाड़ा किया तथा बंटवाड़ा करने के बाद अपीलान्ट स्वयं ने अपने बंट में आये खेतो में से खसरा नम्बर 417 का बैचान दिनांक 27.06.2005 को श्रीमति पंखूदेवी को बैचानकर कब्जा सुपुर्द किया तथा बाद में पंखूदेवी ने यही खसरा नम्बर 417 सन् 2008 में भवरसिंह, अर्जुनसिंह पिसरान सरदारसिंह राजपूत निवासी वणधर को बैचान कर कब्जा सुपुर्द किया। इसके पश्चात सन 2018 में अपीलान्ट पिता/पति की मृत्यु होने पर उनके वारीसान रम्भा, लासी पुत्रीया अजा व अपीलान्ट लीलूदेवी ने अपीलान्ट नेथीराम के पक्ष में दिनांक 23.10.2019 को हकतर्कनामा करवाया, जिसके आधार पर अपीलान्ट के बंट की आराजी अपीलान्ट नेथीराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया

गया जिसको भी 4 वर्ष हो गये है। लेकिन तब भी अपीलान्ट ने कोई अपील नही की, इसके बाद अपीलान्ट नेथीराम ने सन् 2022 में अपने बंट के खेतो पर HDFC बैंक लिमिटेड शाखा भीनमाल से ऋण लिया तब भी अपीलान्ट को अपने बंट में आई आराजी के बारे में जानकारी थी। इसके उपरान्त भी अपीलान्ट ने कोई कार्यवाही नही की। इस कारण अपीलान्ट की अपील म्याद बाहर होने से काबिल खारिज है। अतः जबाव पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील म्याद बाहर, मेलाफाईड इन्टेनशन से होने से खारिज फरमावें।

1 रेस्पोडेन्ट वकील द्वारा विशेष आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट ने आपसी सहमति से दिनांक 26.05.2005 को बंटवाड़ा प्रस्ताव तहसीलदार को प्रस्तुत किया जिस पर हल्का पटवारी की जांच के बाद मौके पर स्थित कब्जा काश्त माफिक बंटवाडा प्रस्ताव होने से स्वीकृत कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने का आदेश दिया गया जिसको करीब साढे 19 वर्ष हो गये है, इस कारण अपील म्याद बाहर होने से काबिल खारिज फरमावें।

2. कि आपसी सहमति से अपीलान्ट के पिता/पति अजा पुत्र अखा के बंट में आये खेत खसरा नम्बर 417, 1851, 1852, 1853, 1926, 1928 मे से खसरा नम्बर 417 का बैचान श्रीमति पखुदेवी को दिनांक 27.06.2005 को कर कब्जा सुपुर्द किया तथा बाद में पंखूदेवी ने खसरा नम्बर 417 भवरसिंह, अर्जुनसिंह को सन 2008 में बैचान कर कब्जा सुपुर्द किया जिसकी अपीलान्ट को पुर्ण जानकारी होते हुऐ भी कोई आपत्ति नही की। अतः अपीलान्ट की अपील काबिल खारिज फरमावें।

3. कि सन् 2018 में अपीलान्ट के पिता/पति फौत होने पर अपीलान्ट नेथीराम की बहिने रम्भा, लासी एवं अपीलान्ट नेथीराम की माता अपीलान्ट लीलूदेवी ने अपीलान्ट नेथीराम के हक में उनके बंट के खेतो का हकतर्कनामा दिनांक 23.10.2019 को करवाया तब भी अपीलान्ट को बंटवाडे बाबत पुर्ण जानकारी थी, इसके उपरान्त भी अपीलान्ट ने कोई कार्यवाही नही की तथा न ही अन्दर म्याद अपील पेश की। अतः अपीलान्ट की अपील काबिल खारिज फरमावें।

4. कि अपीलान्ट के बंट के खेतो पर अपीलान्ट ने सन 2022 में HDFC बैंक शाखा भीनमाल से ऋण लिया तब भी बंटवाडे की अपीलान्ट को पुर्ण जानकारी होते हुये भी अपील अन्दर म्याद पेश नही की। अतः अपील काबिल खारिज है।

5. कि रेस्पोडेन्ट जमना के पिता आला ने उनके बंट में आये खेत खसरा नम्बर 1151, 1458, 1920, 1920/2085 का बैचान दस्तावेज श्रीमति रखमादेवी पत्नि रणछोडारामजी जाति कलबी निवासी वणधर के पक्ष में दिनांक 14.07.2009 को बैचान दस्तावेज करवाकर कब्जा सुपुर्द किया। लेकिन अपीलान्ट ने इसकी जानकारी होते हुऐ भी उन्हे पक्षकार नही बनाया है। अतः अपील मिसजोईन्डर ऑफ पार्टी होने से काबिल खारिज फरमावें।

6. कि बंटवाडे के बाद सभी खातेदारान ने अपने–अपने बंट की भूमि में पक्के मकान, नलकुप, विधुत कनेक्शन लिये है तथा हम रेस्पोडेन्ट ने हमारे हिस्से की भूमि को दिन रात मेहनत–मजदुरी कर उन्नत खाद–बिज डालकर ऊपजाऊ बनाया है जिसको अपीलान्ट अवैधानिक तौर से हड़पना चाहते है, इस कारण यह अपील दुराश्य की भावना से होने से काबिल खारिज फरमावें।

अतः निवेदन है कि श्रीमान अपीलान्ट की अपील म्याद बाहर व दुराश्य की भावना से होने से प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर
सांचौर

हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस पर विमर्श किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार रानीवाडा की ओर से प्रकरण में कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नही किया गया। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट के द्वारा प्रस्तुत लिखित बिन्दुओं, विभिन्न अभिकथनों से यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट के पिता/पति व अन्य सहखातेदारों द्वारा तहसीलदार रानीवाडा के समक्ष 100 रूपये के स्टाम्प पर स्वमं के द्वारा अगुष्ठा कर दिनांक 26.05.2005 को बंटवाडा पेश किया

गया। तहसीलदार रानीवाडा द्वारा दिनांक 01.06.2005 को बंटवाडा आदेश जारी किया गया। उसी भूमि में से खसरा नम्बर 417 का अपीलांट के पिता/पति स्वयं के द्वारा दिनांक 27.06.2005 को जरिए बैचान किया गया, तब भी अपीलांट के पिता/पति द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नही की गई। सन् 2018 में अपीलांट के पिता/पति की गृत्यु होने पर उनके अपीलांट द्वारा दिनांक 23.10.2019 को एक हकतर्कनामा भी किया गया था। हकतर्कनामा होने के बाद 05 साल अपीलांट द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नही की गई। अपीलांट द्वारा दिनांक 07.08.2024 को 20 साल 02 महीने बाद अपील प्रस्तुत की गई। देरी से अपील पेश करने का कोई विशेष कारण नही बताया गया है। जिससे साफ जाहिर है कि अपीलांट के पिता/पति द्वारा बैचान एवं अपीलांट द्वारा हकतर्कनामा करने पर उनके हुए बंटवाडे की पूर्णतया जानकारी थी।

उपरोक्त परिस्थिति के मध्यनजर अपीलार्थी द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

आदेश

अत : उपयुक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम सारहीन/आधारहीन होने से अस्वीकार किया जाता है। एवं अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 05 म्याद अधिनियम का अस्वीकार होने से अपील धारा 225 आर.टी.एक्ट की भी इसी स्तर पर खारिज की जाती है। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार रानीवाडा को लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो व दाखिल दफतर हों।

(श्री दौलतराम चौधरी RAS)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सांचौर

न्यायालय अति. जिला कलक्टर
सांचौर

- निर्णय आज दिनांक 01.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सांचौर

न्यायालय अति. जिला कलक्टर
सांचौर